	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
सुरेश 5	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० हैं। निर्णय वास्ते वादी आदि० की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। निर्णय वास्ते आदेश में दिनांक 10.10.2025 को पेश हो।	
10.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप० हैं। गत पेशी पर वादी आदि० की बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली के तमाम कागजात, बहस एवं संलग्न रिकार्ड का अध्ययन अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारीज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।	

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
/ 2023	14.02.2023	10.10.2025

ठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सुरेश आत्मज बजरंगलाल जाति रेगर
2. सीमा पुत्री बजरंगलाल जाति रेगर
3. पुष्पा बाई पत्नी बजरंगलाल जाति रेगर निवासीगण कुन्हाड़ी तह0 लाड़पुरा जिला कोटा राज0।

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादी)

वादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते

–: निर्णय :–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 1 नया 1 पुराना की खसरा नं0 436 रकबा 0.05 है0 खसरा नं0 437 रकबा 0.08 है0 खसरा नं0 3 रकबा 0.23 है0 कुल 3 किता की 0.36 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादीगण काबिज कास्त चले आ रहे है। यह की उक्त आराजी के खसरा नं0 438 का पुराना खसरा नं0 299 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी जिसका आवण्टन वादीगण के पिता मृतक बजरंगलाल आत्मज बिरधिलाल रेगर को दिनांक 20/08/1991 को आवण्टीत हुई थी जिसका दखलनामा दिनांक 15/03/1991 को खसरा नं0 299 की 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर वादीगण के पिता मृतक बजरंगलाल को दिया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। यह कि वादीगण के पिता उक्त आराजी में अपने जीवनकाल मे काबिज कास्त चले आए और वादीगण के पिता की मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज कास्त चले आ रहे है। वादीगण के

पेता/पति की मृत्यु दिनांक 28/02/2014 को हो गई थी ओर मृत्यु के बाद वादीगण जो मृतक ाजरंगलाल के विधिक वारिसान हे उक्त आराजीयात पर काबिज कास्त चले आ रहे हे। यह कि उक्त आवण्टन शुदा भूमि का दखल दिए जाने के पश्चात उक्त खसरा न0 299 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही किया गया ओर दोराने सेटलमेन्ट खसरा नं0 299 के नये खसरा न0 436 437 438 दर्ज किये गए जिसमे वादीगण वर्तमान खसरा नं0 438 की रकबा 0.23 है० भूमि पर काबिज चले आ रहे हे इसलिए उक्त आराजी मे वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 1 नया 1 पुराना की खसरा नं0 438 रकबा 0.23 है0 कुल 1 किता रकबा 0.23 है0 भूमि जो वादीगण के पिता को आवण्टीत हुई थी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है पर वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार दीगोद द्वारा जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल फाईल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। वादी की ओर से वादी साक्ष्य में PW-1 सुरेश आत्मज बजरंगलाल तथा PW-2 पुष्पाबाई पत्नी बजरंगलाल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं बहस में अधिवक्ताओं के कथित कथनों पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादी सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की रिलीफ चाहता है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल नहीं रहा है इस कारण वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. सुरेश आत्मज बजरंगलाल जाति रेगर
2. सीमा पुत्री बजरंगलाल जाति रेगर
3. पुष्पा बाई पत्नी बजरंगलाल जाति रेगर निवासीगण कुन्हाड़ी तह0 लाड़पुरा जिला कोटा राज0।

(वादीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादी)

वादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते

मिसल नम्बर 21/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.10.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0